

प्रमाण-३
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्ध जिला राजसमन्ध
 (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केच्य कोर्ट) केम्प पद्मना

— आदेश —

प्राची के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं गटवारी पद्मना
 व दूरनि पद्मना की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जिहण / नाम
 तहसीलदार — की अनुसंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुरूप में ग्राम सोनियाणा तहसील बेलमगरा व
 जिला राजसमन्ध की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 84 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	सोनियाणा	84	वालूराम जाति - <u>भोला</u>	वालूराम जाति - <u>रेगर</u>

5
उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक- 252
 प्रविष्टि 34

दिनांक - 9/10/23

1. तहसीलदार जिहण को नोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हीष्ट किया जाकर फालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राची की वालूराम को सूचनाएं।
3. दक्षित पत्रवली।

5
उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं रेलमारा सहायक कलक्टर